

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2009-10

जयपुर, दिनांक:

24 MAY 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :-संविदा अनुबन्ध का संशोधित प्रारूप भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग :-इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.02.2010

महोदय,

इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा भेजे गये अनुबन्ध प्रारूप में अब आगे से कार्मिकों से अनुबन्ध करते समय निम्न प्रकार संशोधन कर अनुबन्ध किया जावे :-

1. संख्या 4(III) के Without any notice को विलोपित किया जावे।
2. बिन्दु संख्या 5(IV) के Without any notice को विलोपित किया जावे।
3. विभाग के समसंख्यक पत्र में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2007 के Annexure II के बिन्दु संख्या XVI जिसमें TDS on Income, if due, shall be recovered from package payable to first party को विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के बिन्दु संख्या 8 में XII के पश्चात XIII में TDS on Income, if due, shall be recovered from package payable to first party जोडा जावे।

भवदीय,

(बद्रीनारायण)

अतिरिक्त आयुक्त, (द्वितीय), ईजीएस